



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2019

सं० 78/2015-2020

विषय: ईपीसीजी स्कीम के तहत एककालिक छूट को 30.09.2019 तक बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 18/42/एम18/पी-5.—विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई हैं:

- (क) सार्वजनिक सूचना सं० 35/2015-20 दिनांक 25.10.2017 — ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में ब्लाक-वार विस्तार प्राप्त करने संबंधी समयावधि में एककालिक छूट।
- (ख) सार्वजनिक सूचना सं० 36/2015-20 दिनांक 25.10.2017 — ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राप्त करने के संबंध में समयावधि की एककालिक छूट।
- (ग) सार्वजनिक सूचना सं० 37/2015-20 दिनांक 25.10.2017 — ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब में एककालिक छूट।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की वैधता को दिनांक 26.04.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-20 द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ाया गया था।

2. इसके बाद, दिनांक 25.10.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015-20 को निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना द्वारा संशोधित किया गया:—

दिनांक 14.08.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 30/2015-20 किसी भी जुर्माने के भुगतान के बिना दिनांक 31.03.2015 तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब में एककालिक माफी एवं छूट हेतु दिनांक 31 मार्च, 2019 तक क्षेत्रीय प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

3. विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.58 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा जनहित में उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में आवेदनों को प्राप्त करने की अवधि को आगे 30.09.2019 तक बढ़ाते हैं।

4. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:— आवेदनों को प्राप्त करने की समयावधि को उपर्युक्तानुसार बढ़ाया जा रहा है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th March, 2019

No. 78/2015-20

Subject: Onetime condonation under the EPCG Scheme – Extension till 30.09.2019.

F. No.18/42/AM-18/P-5.—The following Public Notices have been issued by the Directorate General of Foreign Trade :-

- Public Notice No. 35/2015-20 dated 25.10.2017** - Onetime condonation of time period in respect of obtaining block-wise extension in Export Obligation period under EPCG Scheme.
- Public Notice No. 36/2015-20 dated 25.10.2017** - Onetime condonation of time period in respect of obtaining extension in Export Obligation Period under EPCG Scheme.
- Public Notice No. 37/2015-20 dated 25.10.2017** - Onetime relaxation for condonation of delay in submission of installation certificate under EPCG Scheme.

The validity of the above mentioned Public Notices was extended till 30.9.2018 vide Public Notice No. 1/2015-20 dated 26.04.2018.

2. Later, Public Notice No. 37/2015-20 dated 25.10.2017 was modified vide following Public Notice :-

Public Notice No. 30/2015-20 dated 14.08.2018 – RAs have been delegated power till 31st March, 2019 of one time relaxation and condonation of delay in submission of installation certificate for EPCG authorizations issued upto 31.03.2015, without payment of any penalty.

3. In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of FTP (2015-20) read with Paragraph 2.58 of FTP (2015-20), the Director General of Foreign Trade in public interest hereby further extends the time of receipt of requests till 30.09.2019 in respect of the above mentioned Public Notices.

4. The other contents of the above mentioned Public Notices shall remain the same.

Effect of this Public Notice: Extension in time period for receipt of requests is being provided as mentioned above.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.